ANNUAL REPORT

2012-13

JAN KALYAN SAMAJIK SANSTHAN
Block No. 2 & 3, Kavita Complex, Kourinbhata , Rajnandgaon ,
Dist – Rajnandgaon (C.G.) India, Pin – 491441
Phone: 07744 292987 Email: jksssomni@gmail.com Website:
www.jankalyanindia.org

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना महिला यौन कर्मी का संचालन

जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा संचालित किए जा रहे लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 में विभिन्न कार्यक्रमों एवं सेवाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। विगत वर्ष परियोजना अंर्तगत अनेक कार्यक्रम जैसे सामुदायिक कार्यक्रम, जीपा सर्पोट कार्यक्रम, समुदाय आधारित संगठन निर्माण कार्यक्रम, स्टेकहोल्डर मीटिंग, कलादल द्वारा परियोजना साइट्स में नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक संचालन किया गया है। विगत वर्ष परियोजना अंतर्गत 1200 लक्षित समुदाय (महिला यौन कर्मी एवं एम.एस.एम.) के लोगों को पंजीकृत करके विभिन्न सेवाओं से जोड़ा गया। जनकल्याण सामाजिक संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा लक्षितसमूह की महिलाओं से लगातार वन टू वन किया जाता रहा है जिसमें लक्षित वन टू वन कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा किया गया इसी प्रकार समूह चर्चा के अंतर्गत लक्षित समूह चर्चा को पूर्ण किया गया हैं और उच्च जोखिम समूह के महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोंच उत्पन्न करनें के लिये एवं सुरक्षित यौन व्यवहार को अपनानें के लिये लक्षित कंडोम डेमो एवं रिडेमों कार्यक्रम को पूर्ण किया जिसकं कारण कंडोम की उपयोगिता 90 % रही है। संस्था की ए.एन,एम, द्वारा उच्च जोखिम समूह महिलाओं का सतत् काउन्सलिंग कार्य किया जाता रहा है जिससे सुरक्षित यौन व्यवहार के प्रति समुदाय की जागरूकता बढी हैं । संस्था के द्वारा गतवर्ष क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में दीवार लेखन करवाया गया हैं जो एच.आई.वी./एड्स से बचाव एवं सुरक्षित यौन जीवन से संबंधित हैं । इसी के साथ संस्था के द्वारा छपवाये गये ब्रोसर में एच.आई.वी./एड्स से बचाव, सुरक्षित यौन व्यवहार, कंडोम की उपयोगिता एवं जिलें में उपलब्ध एस.टी.डी. क्लिनिक एवं आई.सी.टी.सी. के बारें में वर्णन किया गया है । उपरोक्त सभी कार्यक्रमों के कारण उच्च जोखिम समूह की महिलाओं में अपनें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आयी हैं एवं सुरक्षित यौन व्यवहार जीनें के प्रति सकारात्मक सोंच बनी हैं एवं जिले में उपस्थित स्वास्थ्य सुविधओं के बारे में जानकारी बढ़ी है। 80 % एच.आई.वी. पाजीटिव लोगो का ए.आर.टी. लिंकेज करया गया है। सुरक्षित यौन व्यवहार के लिये कंडोम का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है । परियोजना क्षेत्र के समुदाय में कंडोम के उपयोग में गत वर्ष बहुत तेजी से वृद्धि हुआ है क्योकि संस्था द्वारा समुदाय के नजदीकी स्थानों पर कडोम आउट लेट की व्यवस्था की गयी है और समुदाय तक निःषुल्क कंडोम वितरण करके कंडोम की उपलब्धता को सुगम बनाया गया है जिसके कारण लक्षित समुदाय में कंडोम की उपयोगिता बढनें से उनका यौन व्यवहार सुरक्षात्मक हुआ है एवं लक्षित समुदाय के द्वारा कंडोम की अनिवार्यता को स्वीकारा जाने लगा है एवं बगैर कंडोम के यौन व्यवहार को समुदाय के द्वारा बंद कर दिया गया है। लक्षित समुदाय का परियोजना के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न हुआ है। परियोजना को उपस्थित एच.आर.जी. के द्वारा यथासम्भव मदद देनें का संकल्प लिया गया। जनकल्याण सामाजिक संस्थान के द्वारा परियोजना अंतर्गत परियोजना को सुचारू रूप से चलानें के लिये प्रषासनिक स्तर पर बैठक, नेटवर्किंग, जन वकालत किया जाता रहा है जिसमें सी.एम. ओ.,पुलिस विभाग, स्वैच्छिक संगठन, सामुदायिक संगठन आदि शामिल है इन जन वकालतो एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम से लक्षित समुदाय के प्रति समुदाय की सोंच सकारात्मक हुआ है ।

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना पुरूष समलौगिक का संचालन

जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा संचालित किए जा रहे लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना अंतर्गत वर्ष 2012–113 में विभिन्न कार्यक्रमों एवं सेवाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। विगत वर्ष परियोजना अंर्तगत अनेक कार्यक्रम जैसे सामुदायिक कार्यक्रम, जीपा सर्पोट कार्यकम, समुदाय आधारित संगठन निर्माण कार्यक्रम, स्टेकहोल्डर मीटिंग, कलादल द्वारा परियोजना साइट्स में नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक संचालन किया गया है। विगत वर्ष परियोजना अंतर्गत 1000 लक्षित समुदाय (एम.एस. एम.) के लोगों को पंजीकृत करके विभिन्न सेवाओं से जोड़ा गया। जनकल्याण सामाजिक संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा लक्षितसमूह की महिलाओं से लगातार वन टू वन किया जाता रहा है जिसमें लक्षित वन टू वन कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा किया गया इसी प्रकार समूह चर्चा के अंतर्गत लक्षित समूह चर्चा को पूर्ण किया गया हैं और उच्च जोखिम समूह के महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोंच उत्पन्न करनें के लिये एवं सुरक्षित यौन व्यवहार को अपनानें के लिये लक्षित कंडोम डेमो एवं रिडेमों कार्यक्रम को पूर्ण किया जिसकं कारण कंडोम की उपयोगिता 80 % रही है। संस्था की ए.एन,एम, द्वारा उच्च जोखिम समूह महिलाओं का सतत् काउन्सलिंग कार्य किया जाता रहा है जिससे सुरक्षित यौन व्यवहार के प्रति समुदाय की जागरूकता बढी हैं । संस्था के द्वारा गतवर्ष क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में दीवार लेखन करवाया गया हैं जो एच.आई.वी./एड्स से बचाव एवं सुरक्षित यौन जीवन से संबंधित हैं । इसी के साथ संस्था के द्वारा छपवाये गये ब्रोसर में एच.आई.वी./एड्स से बचाव, सुरक्षित यौन व्यवहार, कंडोम की उपयोगिता एवं जिलें में उपलब्ध एस.टी.डी. क्लिनिक एवं आई.सी.टी.सी. के बारें में वर्णन किया गया है । उपरोक्त सभी कार्यक्रमों के कारण उच्च जोखिम समूह की महिलाओं में अपनें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आयी हैं एवं सुरक्षित यौन व्यवहार जीनें के प्रति सकारात्मक सोंच बनी हैं एवं जिले में उपस्थित स्वास्थ्य सुविधओं के बारे में जानकारी बढ़ी है। । परियोजना क्षेत्र के समुदाय में कंडोम के उपयोग में गत वर्ष बहुत तेजी से वृद्धि हुआ है क्योकि संस्था द्वारा समुदाय के नजदीकी स्थानों पर कडोम आउट लेट की व्यवस्था की गयी है और समुदाय तक निःषुल्क कंडोम वितरण करके कंडोम की उपलब्धता को सुगम बनाया गया है जिसके कारण लक्षित समुदाय में कंडोम की उपयोगिता बढनें से उनका यौन व्यवहार सुरक्षात्मक हुआ है एवं लक्षित समुदाय के द्वारा कंडोम की अनिवार्यता को स्वीकारा जाने लगा है एवं बगैर कंडोम के यौन व्यवहार को समुदाय के द्वारा बंद कर दिया गया है। लक्षित समुदाय का परियोजना के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न हुआ है । परियोजना को उपस्थित एच.आर.जी. के द्वारा यथासम्भव मदद देनें का संकल्प लिया गया। जनकल्याण सामाजिक संस्थान के द्वारा परियोजना अंतर्गत परियोजना को सुचारू रूप से चलानें के लिये प्रषासनिक स्तर पर बैठक, नेटवर्किग, जन वकालत किया जाता रहा है जिसमें सी.एम.ओ.,पुलिस विभाग, स्वैच्छिक संगठन, सामुदायिक संगठन आदि शामिल है इन जन वकालतो एवं नेटवर्किग कार्यक्रम से लक्षित समुदाय के प्रति समुदाय की सोंच सकारात्मक हुआ है ।

ट्रांजिट माइग्रेन्ट परियोजना का संचालन

विगत वर्ष अपैल 2012–13 से जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा ट्रांजिट माइग्रेन्ट परियोजना का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से पलायन करने वाले लोगो को प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण, स्टेकहोल्डर बैठक, परामर्श, सुरक्षित यौन संबंधों के लिए कंडोम उपयोग को प्रोत्साहन, रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक, जनवकालत आदि कार्य प्रमुख रूप से किए जाते है। जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ट्रांजिट माइग्रेन्ट परियोजना का संचालन गत वर्ष माह जनवरी, 2012 से किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्वेश्य रोजी मजदूरी के लिए राजनांदगांव जिले से अन्य राज्यों में पलायन करने वाले लोगों को एच.आई.वी.एड्स के प्रति जागरूक बनाना, एच.आई.वी.एड्स के कारण एवं एच.आई.वी.एड्स से बचाव के तरीकों के बारे मे जानकारी उपलब्ध कराना, प्रचार प्रसार की सामग्री का वितरण करना, ंकंडोम का सही उपयोग की जानकारी प्रदान करनाए स्टेकहोल्डर मीटिंग करना एवं उन्हे अन्य सेवायें प्रदान करना है। इस संदर्भ में इस परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संस्था गत वर्ष माह फरवरी से रेल्वे स्टेशन परिसर में मोबाईल फोल्डींग टेंट लगाकर उपरोक्त सेवाओं को संस्था के 2 आउटरीच कार्यकताओं के माध्यम से जिले से अन्य राज्यों मे पलायन करने वाले लागों को उपलब्ध करा रही है।

पी.पी.टी.सी.टी. कार्यक्रम का संचालन

आई.एल.एन्ड एफ.एस. एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड कं. के सहयोग से जनकल्याण सामजिक संस्थान के द्वारा राजनांदगांव जिले मे पी.पी.टी.सी.टी. (प्रवेन्शन आफ पैरेन्ट टू चाइल्ड ट्रांसमीशन) कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एच.आई.वी संक्रमित माता पिता की जांच एवं पहचान करके उनसे बच्चे को होने वाले एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम करना एवं मां एवं बच्चे का प्रसव पश्चात नियमित जांच एवं देखरेख का कार्य करना है। राजनांदगांव जिले के 6 विकासखंड चौकी, डोंगरगांव, राजनांदागंव, डोगरगढ़, खैरागढ़ एवं छंईखदान मे उपलब्ध आई.सी.टी.सी. के अंतर्गत आने वाले सेवा क्षेत्रों के गांव एवं शहर में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

महिला यौन कर्मीयों पर शोध एंव अध्ययन

राजनांदगांव जिले के 800 महिला यौन कर्मीयो को उनके रोजगार एंव जीवन यापन के स्तर को सुधारने के लिए शोध एंव अध्ययन किया गया। जिसमें उनके परिवार से सम्बंधित जानकारी एकत्रित किया गया।

स्वयं सहायता समूह का नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्व. सहायता समूह नेतृत्व प्रशिक्षण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन राजनादगांव के विभिन्न ग्रामों में किया गया । प्रशिक्षण का आयोजन जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरूआत महिला प्रतिभागीयों ने एक – दूसरे का परिचय देते हुए की गई तथा महिलाओं ने प्रेरणागीत प्रस्तुत किया । सभी उपस्थिात महिलाओं को संस्था द्वारा प्रकाशित समूह नेतृत्व प्रशिक्षण मार्गदर्शिका वितरित की गई । जिससे समूह से सम्बंधित उनकी जानकारी में और वृद्धि हो सके । स्त्रोत वयक्ति के रूप उपस्थित शेख रीना ने प्रत्येक समूह के बारे सामान्य जानकारी हो जैसे बैठक कैसे करते है, कितने दिनों में मीटिंग बैठते है, मीटिंग में किन–किन विषयों पर चर्चा की जाती है समूह के पास कितने पैसे है, बचत कियें पैसों कों कहॉ रखते है आदि । इसके पश्चात सदस्यों जानकारी ली गई कि समूह बनाने से उन्हें क्या लाभ हो रहा है समूह के उददेश्य क्या है,एवं समूह में क्या समस्याऍ है तथा समूह को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते है, समूह के पास इसके लिए क्या योजनाऍ है । तत्पश्चात समूह का ग्रेडेशन के बारे में बताया गया एवं प्रत्येक समूह के सदस्यों को अपने–अपनें समूह का ग्रेडेशन स्वयं करने को कहा गया । इसके पश्चात बैंक लिंकेज के बारे में पढ़ाया गया । बैंक लिंकेज किन समूहों का हो सकता है इसके लिए आवश्यक शर्ते क्या–क्या है इसको जानकारी दी गई । बैंक लिंकेज कराने से समूह को क्या लाभ हो सकता है समूह बैंक लिंकेज कराकर किसी अच्छे व्यवसाय को चुनकर अच्छी आय अर्जित कर सकती है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है । फिर समूह कों रिकार्ड लेखन के बारे में बताया गया कि बैठक पंजी कार्यवाही पंजी ऋण पंजी पास बुक आदि बही खातो का कैसा लिखा जाता है ।समूह को खेल के माध्यम से यह बताया गया कि समूह व संगठन में रहने से हमारी ताकत कितनी बढ़ जाती है इसलिए हमें एक साथ इकटठे होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए इससे हम अपनी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते है । समूह के सदस्यों को अलग – अलग व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई । समूह आर्थिक आय उपार्जन हेतु व्यवसाय से जुड़े इसके लिए उन्हे प्रेरित किया गया । समूह को सामाजिक मुददों को सुलझाने एवं अपनी समस्याओं को सामुहिक रूप से निराकरण करने के लिए प्रेरित किया गया ।

कृषक क्लब का गठन

चलाने के लिये जुड़े है वे गरीब वर्ग के है जो सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यह कार्य करते है उन्हे पहली बार यह पता चला कि कृषक क्लब के गठन से आर्थिक उन्नति हाक सकती है। परियोजना प्रबंधक के द्वारा कुछ कृषको को जोडकर कृषक क्लब समूह बनाया जिसमें बताया गया कि अपनी सुविधानुसार पैसे इकट्ठा करकें जमा करें तब उनके द्वारा तय किया गया कि वे 50 रूपये महीनें मे जमा करेंगे और कुछ महीनों के पश्चात ज्यादा जैसे इकट्ठे होने के बाद वे इस पैसे का ब्याज में देने लगे है इन पैसो की आय से अपनी खेती कोनई तकनीक से शुरूआत की इसके लिए नाबार्ड ने सहयोग किया।

Programme of Seed Business Ventures by Small Farmers

Introduction & Objective of the Programme –

The project was especially focus on production of quality with inbuilt objective of economic development of small farmers . Initially the project was carried out amongst 25 selected farmers in target to produce quality seeds through advanced agriculture technologies in 25 acres of land. The selected farmers went into the training. The objective of this initiative was to establish a quality seed production unit at village level and gradually develop the same as seed adventure.

Relevance of the Project to the Sector –

Agriculture is the prime occupation of majorities in Chhattisgarh. In rural and semi urban area 90% of population are engaged in form activities for their means of livelihood. Most of the seeds produced by the non-technical farmers do not give that much of quality hence the selected farmers were provided training to produce quality seeds for complete market purpose towards developing seed village so far to increase the economic status of the small farmers.

Brief about Nodal Agency –

SJKS is conceptualized by like-minded professional from different segments of the society who have pledged for the upliftment and empowerment of rural society particulars for the socially and economically vulnerable. It takes up various need based and context specific activities for the economic, social, cultural, educational and environmental development.

Selection of Farmers, area & Village –

Selection of area, village and farmers are made in close consultation with NABARD after receiving consents form the targeted farmers. For which meetings with the villagers are conducted and made aware regarding the essence of seed village concepts so for to mobilize the expected farmers.

Process & Methods followed throughout the project period –

The tenure of the project was of 6 months and the process adopted during the project tenure was based on community participation. From the beginning participatory approaches were followed. Selection of area for the same is done with close guidelines of NABARD and selection of villages is made with active participation of the community/ farmers. Below is the activity –wise process and method followed throughout the project period.

- **Identification and Selection of Farmers –** At the beginning of the project the farmers of the target areas are taken in to the process of counseling for the intended activities and entire process of the

project. The interested 25 farmers are identification and selection to carry out the seed production initiative.

- **Preseason awareness programme –** Preseason awareness programme was organized on July 2012 at Usmal to facilitate the farmers regarding the measures to be taken into consideration before going for quality seed production process. The preseason awareness was followed by Training.
- **Training & Capacity Building –** Training of Selected 25 Farmers was organized on 20 july. 2012 at usmal to build their capacity on the detailed aspects of seed production, storage, packaging and marketing along with value addition aspects so far to ensure quality seed production. The Training was of 3 days. The entire process and session of the training was facilited by Mr. prakash kotendra.
- **Periodic Meetings : -** Regular meeting are organized with the farmers to have analysis of progress made in quality production initiative. Following aspects are covered during the meeting of farmers -

अक्षय प्रोजेक्ट

जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट अक्षय के साथ मिलकर टी.बी. रोग के नियत्रण के लिए कार्य कर रहे है। जनकल्याण संस्थान के द्वारा गांवों में जाकर महिला समूह ़ युवा संगठन ़ मितानिन ़ आ.बा.कार्यकर्ता ग्रांम समिति के साथ मिलकर बैठक किया गया ।इस बैठक का मुख्य विशय क्षयरोग के प्रति लोगो में जागरूकता लाना है। कि जो क्षयरोगी है उनको पुरा इलाज करने के लिए प्रेरित किया गया ।टी.बी. के रोगी को ढुढाना तथा उनका इलाज कराना । गांव वालों को क्षयरोग के लक्षण् उपचार तथा सावधनियों के बारें विस्तार से जानकारी दिया गया।हमारें द्वारा ग्राम परमालकसा् बैगाटोला ़इन्दावानी् देवादा् पदुमतरा् में महिला समूह के साथ बैठक किया गया ।बैठक में टी.बी. रोग के लक्षण के बारे में बताया गया कि अगर किसी को दो सप्ताह से लगतार खांसी आयें ़षाम को बुखार आना ़ भूख न लगना ़ वनज में कमी ़ सीनें में दर्द होना ़ खांसी के साथ बलगम आना यें सभी टी.बी. के लक्षण है।अगर किसी को खासी आयें तों हमें सुबह के बलगम के जांच नजदीक के सरकारी अस्पताल में कराना चाहिए जो पुरी तरह से निःषुल्क होता है।जांच रिपोर्ट के बाद अगर टी.बी. निकलता है तों उनका छःमाह तक दवाई लेनें पर वहां पूरी तरह सें स्वस्थ हों जाता है।

नशा मुक्ति कार्यक्रम

वर्ष 2011–12 में पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग राजनांदगांव के निर्देशन में सामाजिक संस्था जनकल्याण सामाजिक संस्थान सोमनी द्वारा राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नशामुक्ति अभियान के अंर्तगत रैली, संगोष्ठी और वीडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत यह बताया गया था कि नशा आज हमारे समाज का स्तर नीचे करते जा रहा है इस कारण सें बच्चों, युवाओं, महिलाओं तक यह संदेश पहुंचाना गया कि तंबाकू, सिगरेट, शराब, पाउच आदि के सेवन से शरीर को केवल नुकसान ही होता है लाभ कुछ भी नही। इसलिये हमें इन सभी व्यसनों से बचना चाहिये। इस प्रकार समाज को नशे से मुक्त रखने के लिये पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग राजनांदगांव के सहयोग से संस्था ने विशेष नशामुक्ति अभियान छेड़ा है जिसमें आगामी समय में नशामुक्ति केंद्र व नशामुक्ति परामर्श केंद्र की स्थापना की जाएगी जिससे शहर के साथ जिले के दुरस्थ ग्रामीण अंचल की जनता को नशा मुक्ति हेतु सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में विशेष प्रवक्ता के रूप में उपस्थित श्री संजय देशमुख ने कहा कि हम अभी तक पुरूषों में ही नशे की लत की बात करते रहे है लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है व देश व समाज विकास की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे महिलायें भी नशे की ओर प्रवृत्त हुई है यह संख्या आधुनिक कहलाने वाली महिलाओं में अधिक है। श्री संजय देशमुख ने बताया कि वह द्रुर्ग जिले में विगत 3 वर्षो से नशामुक्ति अभियान चला रहे है जहां नशा करने वाली महिलाओं की संख्या मे बढ़ोतरी हुयी है।

पेसा जागरूकता अभियान

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम – 1996 (पेसा) लोक आधारित अभिशासन को बढ़ावा देता है एवं साथ–ही ग्राम सभा को लोगों के रिति–रिवाजों और परम्पराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों जिसमें जल, जंगल और जमीन शामिल है, उनकी संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए शक्तियां प्रदान करता है। विगत एक वर्ष सें प्रिया (सोसायटी फोर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया) संस्था अपने स्थानिय सहयोगी संस्था जनकल्याण सामाजिक संस्थान, सोमनी, राजनांदगावं के साथ मिलकर और अर्घ्यम, बंगलौर की सहायता से जल–प्रबंधन के मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पेसा के प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगावं जिलें में हस्तक्षेप/एक एक्शन रिसर्च किया गया। हस्तक्षेप के दौरान यह बात निकलकर आई की छत्तीसगढ़ में पेसा कानून का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न अंशधारियों कों पेसा कानून के विभिन्न प्रावधनों के संबध में जागरूक करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में प्रिया ने अपने अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोंग सें छत्तीसगढ़ के चार जिले क्रमशः कोरबा, सरगुजा, कांकेर एवं राजनांदगावं में जल केंद्रित पेसा जागरूकता अभियान का आयोजन

किया है। रांजनांदगावं जिले में जल केंद्रित पेसा जागरूकता अभियान का संचालन सहयोगी संस्था जनकल्याण सामाजिक संस्थान, सोमनी, राजनांदगावं द्वारा 13 मई से 25 मई 2013 के दौरान राजनांदगावं जिले के दो विकास खण्डों क्रमशः मोहला एवं अंबागढ चौकी में किया गया । साथ ही जल एवं पेसा कानून के संदर्भ में एक नागरिक सर्वेक्षण भी किया गया। प्रिया एवं जनकल्याण संस्था द्वारा संचालित किये गये जल केंद्रित पेसा जागरूकता अभियान एवं नागरिक सर्वेक्षण के अनुभवों का सांझा करने के उद्देश्य से प्रिया व जनकल्याण संस्था द्वारा एवं जिला पंचायत, राजनांदगावं के सहयोग से एक दिवसीय जिला स्तरीय विचार–विमर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमे छ.ग. जल केंद्रित पेसा जागरूकता मंच का गठन किया गया। यह मंच जनप्रतिनिधियो, आदिवासी नेतृत्व एवं छ.ग. की स्वयंसंवी संस्थाओ का एक साझा मंच है विभिन्न जिलो मे आयोजित परिचर्चा के पश्चात इस मंच के माध्यम से एक नागरिक मांग पत्र का प्रकाशन किया गया है।